2019 का विधेयक संख्यांक 374

[दि मेंटेनेन्स एंड वेलफेयर आफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

p

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : —

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

वृहत शीर्षक का संशोधन ।

2. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, बृहत शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित वृहत शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण और कल्याण का उपबंध करके माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, उनकी समग्र शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों और उसके लिए सेवाओं के लिए संस्थाओं के स्थापन, प्रबंध और विनियमन के लिए और उससे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम ।"।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) ''बालक'' से माता-पिता या किसी वरिष्ठ नागरिक के संबंध में उसका पुत्र या पुत्री, चाहे जैविक हो, दत्तक हो या सौतेला बालक हो, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका दामाद, पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री और अवयस्क बालकों के विधिक संरक्षक, यदि कोई हो, भी आते हैं ;

1974 का 2

(कक) ''संहिता'' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है ;

(कख) ''सुलह अधिकारी'' से धारा 6 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(कग) ''स्थानीय निकाय'' से, यथास्थिति, संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड.) में यथापरिभाषित नगरपालिका या उसके अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथापरिभाषित पंचायत अभिप्रेत है ;

(ख) ''भरणपोषण'' में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक आहार, वस्त्र, निवास, संरक्षा और सुरक्षा, चिकित्सीय परिचर्या, स्वास्थ्य देखरेख और उपचार सम्मिलित है ;';

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) ''भरणपोषण अधिकारी'' से धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(गक) ''वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुविध-सेवा दिन भर देखरेख केंद्र" से धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन दिन भर देखरेख की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार या किसी स्थानीय निकाय या संगठन द्वारा स्थापित या चलाए जाने वाली इस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य देखरेख, समकक्ष व्यक्ति संपर्क, आमोद-प्रमोद और मनोरंजन भी है ;

(गख) ''वरिष्ठ नागरिकों के लिए नोडल अधिकारी'' से धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में पदाभिहित कोई पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है ;

(गग) ''संगठन'' के अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी स्वैच्छिक या प्राइवेट या गैर-सरकारी संगठन या कोई सोसाइटी या न्यास आते हैं ;';

(**iv**) खंड (घ) और खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(घ) ''माता-पिता'' से पिता या माता, चाहे जैविक हो, दत्तक हो या सौतेले माता-पिता हों, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ससुर, सास और पितामह-पितामही, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हों या नहीं, आते हैं ;';

(ड.) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(**v**) खंड (छ) में, ''वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या'' शब्दों के स्थान पर, ''वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अपने विधिक संरक्षक के माध्यम से कोई अवयस्क भी है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति जिसके कब्जे में है या जो'' शब्द रखे जाएंगे ।

(**vi**) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

'(जक) ''वरिष्ठ नागरिक देखरेख गृह'' से धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों को उनकी देखरेख और कल्याण के लिए निवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार या किसी स्थानीय निकाय या संगठन द्वारा स्थापित या चलाई जाने वाली उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था अभिप्रेत है ;';

(**vii**) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ट) ''कल्याण'' से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक आहार, वस्त्र, आवास, संरक्षा और सुरक्षा, चिकित्सीय परिचर्या, स्वास्थ्य देखरेख, उपचार, आमोद-प्रमोद और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है ;';

धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण ।

''4.(1) कोई ऐसा माता-पिता या कोई वरिष्ठ नागरिक, जो स्वयं के अर्जन से, जिसके अंतर्गत उसके स्वामित्वाधीन किसी संपत्ति से अर्जन भी है, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है और या तो जिसका भरणपोषण उसके बालकों या नातेदारों द्वारा नहीं किया जाता है या उनके द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है, धारा 5 के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन करने का हकदार होगा ।

(2) माता-पिता के भरणपोषण के लिए बालकों की बाध्यता माता-पिता की ऐसी आवश्यकताओं तक है जो उसके लिए गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है ।

(3) किसी नि:संतान वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए किसी नातेदार की बाध्यता वरिष्ठ नागरिक की ऐसी आवश्यकताओं तक है, जो उसके लिए

गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है, बशर्ते ऐसे नातेदार के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त साधन हैं और या तो ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है या उसकी मृत्यु के पश्चात् ऐसी संपत्ति विरासत में प्राप्त करेगा :

परंतु जहां किसी नि:संतान वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का कब्जा एक से अधिक नातेदारों के पास है या जो उसकी मृत्यु के पश्चात् ऐसी संपत्ति विरासत में प्राप्त करेंगे, वहां ऐसे नातेदारों की बाध्यता उस अनुपात में होगी, जिसमें उनके पास संपत्ति का कब्जा है या ऐसी संपत्ति विरासत में प्राप्त करेंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) से उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'(1) धारा 4 के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन अधिकरण को, वैयक्तिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या आनलाइन या किसी अन्य माध्यम से—

(क) धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित एक या अधिक बालकों के विरुद्ध, यथास्थिति, किसी माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक द्वारा ; या

(ख) धारा 2 के खंड (छ) में यथापरिभाषित एक या अधिक नातेदारों के विरुद्ध किसी नि:संतान वरिष्ठ नागरिक द्वारा,

किया जा सकेगा और यदि ऐसा माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक ऐसा करने में अशक्त हैं तो वह अपनी ओर से ऐसा आवेदन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को प्राधिकृत कर सकेगा या अधिकरण ऐसे मामले का स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन भरणपोषण के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर अधिकरण, यथास्थिति, बालकों या नातेदार को आवेदन की सूचना देने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् धारा 6 के उपबंधों के अनुसार भरणपोषण का अवधारण करने के लिए जांच कर सकेगा ।

(3) भरणपोषण की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान अधिकरण आदेश द्वारा बालकों या नातेदार को ऐसे माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को अंतरिम भरणपोषण के मद्दे ऐसे मासिक भत्ते का संदाय करने का निदेश दे सकेगा, जो उसके द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ।

(4) अधिकरण द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन का निपटान, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की दशा में, जो अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, ऐसे आवेदन का निपटान साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और कि अधिकरण, अपवादिक परिस्थितियों में उक्त अवधि को, कारण लेखबद्ध करते हुए, केवल एक बार अधिकतम तीस दिन की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन एक या अधिक बालकों या नातेदार के विरुद्ध फाइल किया जाता है, वहां ऐसा बालक या नातेदार किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को पक्षकार बना सकेंगे, जो, यथास्थिति, माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए उत्तरदायी है ।

धारा 6 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(1) बालकों या नातेदारों के विरुद्ध धारा 5 में निर्दिष्ट कार्रवाइयां ऐसे जिले में की जा सकेंगी, जहां—

(क) माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया है ; या

(ख) बालकों या नातेदार में से कोई भी निवास करता है ।';

1974 का 2

(**ii**) उपधारा (3) में, ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथाउपबंधित'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, संहिता के अधीन यथाउपबंधित'' शब्द रखे जाएंगे ;

(**iii**) उपधारा (4) में, —

(क) आरंभिक भाग में, ''जिसके विरुद्ध भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसके विरुद्ध धारा 5 के अधीन आवेदन फाइल किया गया है'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, ''जिसके विरुद्ध भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बच रहा है या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है'' शब्दों के स्थान पर, ''जिनके विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन आदेशिका जारी की गई है, जानबूझकर तामील से बच रहे हैं या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहे हैं '' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(**iv**) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(6) अधिकरण, पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समझौते करने में सहायता करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए धारा 5 के अधीन की कार्रवाइयों को अधिकरण द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्देशित सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निर्देशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा तथा किसी सौहार्दपूर्ण समझौते की दशा में अधिकरण, उस प्रभाव का आदेश पारित करेगा ।''।

धारा 7 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, ''भरणपोषण के आदेश'' शब्दों के स्थान पर, ''फाइल किए गए आवेदन'' शब्द रखे जाएंगे ।

1974 का 2

धारा 8 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में, ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''संहिता '' शब्द रखा जाएगा ;

धारा 9 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

भरणपोषण के लिए आदेश ।

''**9.** (1) अधिकरण, यथास्थिति, बालकों या नातेदार की ओर से ऐसे माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक का, जो गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए स्वयं भरणपोषण के लिए असमर्थ हैं, भरणपोषण करने में उपेक्षा या इंकारी के बारे में समाधान हो जाने पर ऐसे बालकों या नातेदार को माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए ऐसा मासिक भत्ता, अन्य संसाधन और देखरेख, जो वह समय-समय पर अवधारित करे, प्रदान करने का निदेश देते हुए भरणपोषण के लिए आदेश पारित कर सकेगा ।

(2) भरणपोषण का अवधारण करते समय अधिकरण, माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के जीवन स्तर को और ऐसे माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के तथा बालकों या नातेदार के अर्जन को विचार में ला सकेगा ।

(3) भरणपोषण के लिए आदेश, आदेश की तारीख से या, यदि अधिकरण द्वारा इस प्रकार आदेश किया जाए, तो आवेदन की तारीख से प्रवर्तनीय होगा ।

(4) भरणपोषण के लिए आदेश की एक प्रति—

(**i**) यथास्थिति, माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ;

(**ii**) अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी ;

(**iii**) राज्य के संबंधित विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी ; और

(**iv**) भरणपोषण अधिकारी को प्रदान की जाएगी ।

(5) जहां भरणपोषण के लिए आदेश, एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है, वहां उनमें से किसी एक की मृत्यु, भरणपोषण प्रदान करते रहने के दूसरों के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगी ।

धारा 10 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(1) दुर्व्यपदेशन या तथ्य की भूल के सबूत पर या धारा 9 के अधीन भरणपोषण प्राप्त करने वाले माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक की परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन पर अधिकरण, भरणपोषण के आदेश में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।''।

धारा 11 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(**i**) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) अधिकरण, भरणपोषण के लिए किसी आदेश को, पक्षकारों की पहचान के बारे में समाधान हो जाने पर और ऐसे आदेश की अननुपालना पर, किसी भी ऐसे स्थान में प्रवर्तित कर सकेगा, जहां वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है, निवास करता है ।''।

(**ii**) उपधारा (2) में, ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश का होता है और वह उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जाएगा'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''संहिता के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश का होता है और वह संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जाएगा'' शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1974 का 2

(**iii**) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) यदि ऐसे बालक या नातेदार, जिनके विरुद्ध धारा 9 के अधीन भरणपोषण के लिए आदेश पारित किया गया है, किसी पर्याप्त कारण के बिना ऐसे आदेश की अनुपालना करने में असफल होता है, तो अधिकरण आदेश के ऐसे प्रत्येक भंग के लिए जुर्माना उद्गृहीत करने के

लिए उपबंधित रीति में देय रकम के उद्ग्रहण के लिए वारंट जारी कर सकेगा :

परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी रकम के उद्ग्रहण के लिए माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक द्वारा अधिकरण को आवेदन नहीं किया जाता है ।

(4) यदि, यथास्थिति, बालक या नातेदार उपधारा (3) के अधीन उद्गृहीत जुर्माने का संदाय करने में असफल होता है, तो अधिकरण उसे कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या संदाय किए जाने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, दंडादिष्ट कर सकेगा ।''।

धारा 12 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 12 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष संहिता के अध्याय 9 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन लंबित है, वहां माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के अनुरोध पर न्यायालय, ऐसे आवेदन को वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और ऐसे माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के अधीन अधिकरण के समक्ष भरणपोषण के लिए कोई आवेदन फाइल करने के लिए हकदार होंगे :

परंतु यह और कि अधिकरण के समक्ष फाइल किए गए ऐसे आवेदन के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे न्यायालय के समक्ष ऐसे आवेदन को फाइल करने की तारीख से फाइल किया गया है ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 13 में, "तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) प्रारंभिक भाग में, "वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता" शब्दों के पश्चात्, "या कोई बालक या नातेदार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में, "ऐसे माता-पिता" शब्दों के पश्चात्, "या वरिष्ठ नागरिक" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (6) में, "एक मास के भीतर" शब्दों के पश्चात्, "और आपवादिक परिस्थितियों में और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीस दिन की आगे और अवधि के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति के किसी अधिकारी या राज्य के किसी संबद्ध विभाग से समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी या ब्लॉक स्तर के किसी

अधिकारी या तहसीलदार को भरणपोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।";

(ii) उपधारा (2) में, "यदि कोई माता-पिता ऐसी वांछा करे, उसका, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान प्रतिनिधित्व करेगा ।" शब्दों के स्थान पर, "यदि कोई माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक ऐसी वांछा करे, उसका, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान प्रतिनिधित्व कर सकेगा ।" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) भरणपोषण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि धारा 9 के अधीन पारित भरणपोषण के लिए किसी आदेश का अनुपालन किया जाता है और अनुपालन न किए जाने की दशा में वह ऐसे उपाय कर सकेगा, जो ऐसे आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक हों ।

(4) भरणपोषण अधिकारी, माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक हेतु उनसे संपर्क और समन्वयन के लिए संपर्क बिंदु होगा ।"।

अध्याय 3 के शीर्ष का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम में अध्याय 3 के शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वरिष्ठ नागरिक देखरेख गृहों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुविध सेवा दिनभर देखरेख केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन"।

धारा 19 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखरेख गृह तथा बहुविध-सेवा दिनभर देखरेख केंद्र ।

"19. (1) सरकार या कोई संगठन, वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखरेख गृहों या वरिष्ठ नागरिकों को दिनभर देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुविध-सेवा दिनभर देखरेख केंद्रों की स्थापना या उनका अनुरक्षण कर सकेगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वरिष्ठ नागरिकों हेतु, वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखरेख गृहों या बहुविध-सेवा दिनभर देखरेख केंद्रों के रूप में स्थापित और अनुरक्षित ऐसी सभी संस्थाओं को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पदाभिहित कर सकेगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक संस्था, उपधारा (5) के अधीन आवश्यक सुखसुविधाएं उपलब्ध कराएगी और यदि वह ऐसा करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार, ऐसी सम्यक् प्रक्रिया, जो विहित की जाए, का अनुसरण करने के पश्चात्, ऐसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द या विधारित कर सकेगी ।

(5) केंद्रीय सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखरेख गृहों या बहुविध-सेवा

दिनभर देखरेख केंद्रों की स्थापना और अनुरक्षण तथा भोजन, अवसंरचना, चिकित्सीय प्रसुविधाओं, मनोरंजन, कर्मचारिवृंद, सुरक्षा और संरक्षा तथा ऐसे अन्य विषय, जो आवश्यक हों, के लिए न्यूनतम मानक विहित करेगी ।

(6) राज्य सरकार, ऐसे किसी प्राधिकारी, जिसे वह उचित समझे, को विनियामक प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम मानकों का पालन किया जाता है, नियमित निरीक्षणों या सामाजिक संपरीक्षा के माध्यम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के कार्यकरण की मानीटरी करेगा ।"।

अध्याय 4 के शीर्ष का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम में, अध्याय 4 के शीर्ष में, **"**चिकित्सीय देखरेख**"** शब्दों के स्थान पर, **"**स्वास्थ्य संबंधी देखरेख**"** शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 20 के स्थान पर, नई धारा 20 और धारा 20क का रखा जाना ।

19. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी देखरेख ।

"20. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,—

(i) सभी अस्पताल, चाहे वे सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित हों, या निजी स्वास्थ्य संबंधी देखरेख संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव बिस्तर प्रदान करती हैं ;

(ii) सभी स्वास्थ्य संबंधी देखरेख संस्थाएं और संबद्ध संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक् पंक्तियों की व्यवस्था करती हैं ;

(iii) चिरकारी, जानलेवा और ह्रासी रोगों के उपचार के लिए सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित की जाती हैं ;

(iv) जराचिकित्सा विज्ञानों में अनुसंधान और विकास किया जाता है ;

(v) जराचिकित्सा के रोगियों के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल में, जराचिकित्सा देखरेख में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी के सम्यक् नेतृत्व में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और जराचिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य देखरेख के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अन्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है और परिणामों की मानीटरी की जाती है ;

(vi) सभी स्वास्थ्य संबंधी देखरेख संस्थाओं और संबद्ध संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं ।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृह देखरेख सेवाएं ।

20क. (1) सरकार या कोई संगठन, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों, जो किसी भौतिक या मानसिक दुर्बलता के कारण दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, के लिए गृह देखरेख सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा ।

(2) ऐसी गृह देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित और प्रमाणित परिचरों या देखरेख प्रदान करने वाले व्यक्तियों को नियोजित करेगी ।

(3) प्रशिक्षण, प्रमाणन और गृह देखरेख सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को, धारा 19 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।"।

अध्याय 5 के शीर्ष का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम में, अध्याय **5** के शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति का संरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपाय**"**।

धारा 21 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 21 में, खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) इस अधिनियम के उपबंधों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी उपायों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जाए ;

(ii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिनके अंतर्गत सिविल रक्षा कोर्प्स और होम गार्डस, पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम के उपबंधों और उससे संबंधित मुद्दों के संबंध में आवधिक रूप से सुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाए ।"।

नई धारा 21क का अंत:स्थापन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ययोजना ।

"21क. (1) राज्य सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, जिसके अंतर्गत उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी है, के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगी और उसका कार्यान्वयन करेगी ।

(2) राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों या विभागों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पणधारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में प्रभावी समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि उसका आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में, कम से कम एक अधिकारी, जो सहायक उपनिरीक्षक से न्यून रैंक का नहीं होगा और जिसके पास इस प्रकार की योग्यता, उपयुक्त प्रशिक्षण और अनुकूलन है, को वरिष्ठ नागरिकों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में पुलिस के कृत्यों का समन्वयन करने के लिए प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पुलिस यूनिट का गठन करेगी और ऐसी यूनिट की अध्यक्षता एक ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो पुलिस उपनिरीक्षक से न्यून रैंक का नहीं होगा और ऐसी यूनिट में उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए पदाभिहित नोडल अधिकारी और दो समाजसेवक, जिनमें अधिमानी रूप से एक महिला होगी, सम्मिलित होंगे, जिनके पास वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव होगा ।"।

धारा 23 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 23 में, **"**वरिष्ठ नागरिक**"** शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, **"**माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक**"** शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 23क का अंत:स्थापन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय ।

"23क. (1) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, और अधिक सुग्राही और वृद्धावस्था के अनुकूल परिस्थितियों, परिवहन, सूचना और संसूचना तथा अन्य जन सुविधाओं, जिनके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक् पंक्तियां भी हैं, का सृजन करने के लिए समुचित उपाय करेंगी ।

(2) राज्य सरकार, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन की स्थापना करेगी और उसे बनाए रखेगी, जिसका पूरे राष्ट्र में एकसमान नम्बर होगा तथा जिसे स्वास्थ्य देखरेख प्रसुविधाओं, पुलिस विभाग और अन्य संबद्ध अभिकरणों से जोड़ा जाएगा ।

(3) सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के फायदे के लिए कल्याणकारी उपाय कर सकेगी और सरकारी या अर्द्धशासकीय संगठनों द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया गया कोई फायदा ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को भी उपलब्ध होगा, जिनकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक है :

परंतु इस धारा के उपबंध, सरकारी या अर्द्धशासकीय संगठनों द्वारा साठ वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दिए जा रहे किसी फायदे पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे ।"।

धारा 24 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार या उनका परित्याग ।

'24. जो कोई, जिसके पास माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार करता है या उसका परित्याग करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दुर्व्यवहार" पद में शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार, गालीगलौच, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक रूप से दुर्व्यवहार, अनदेखी करना और परित्याग, हमला करना, चोट पहुंचाना, शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट देना सम्मिलित है ।'।

नई धारा 28क और धारा 28ख का अंत:स्थापन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

राज्य सरकार की रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के ब्यौरों को वेबसाइट पर रखने की बाध्यता ।

"28क. यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 20क की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के ब्यौरे, राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के संबद्ध विभाग की वेबसाइट पर रखकर उपलब्ध कराए जाएंगे ।

संस्थाओं का प्रत्यायन ।

28ख. धारा 20क की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत प्रत्यायन अभिकरणों द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता के लिए प्रत्यायन किया जाएगा ।"।

धारा 29 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

"29. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

धारा 32 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसे सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाना अपेक्षित है, आदर्श नियमों को विरचित कर सकेगी और जहां ऐसे किसी विषय के संबंध में ऐसे कोई आदर्श नियम विरचित किए गए हैं, वहां वे यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उस राज्य को तब तक लागू होंगे, जब तक राज्य सरकार द्वारा उस विषय में नियम नहीं बना दिए जाते हैं और ऐसे नियमों को बनाए जाते समय, राज्य सरकार यह ध्यान रखेगी कि वे ऐसे आदर्श नियमों के अनुरूप हैं ।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(**i**) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन सुलह अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करने की रीति **;**

(कक) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित किए जाएं, धारा 5 के अधीन जांच करने की रीति ;";

(**ii**) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घक) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पदाभिहित करने की रीति **;**

(घख) धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण को रद्द या विधारित करने की प्रक्रिया **;**

(घग) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखरेख गृहों या बहुविध-सेवा दिनभर देखरेख केंद्रों की स्थापना और अनुरक्षण तथा भोजन, अवसंरचना, चिकित्सीय प्रसुविधाओं, मनोरंजन, कर्मचारिवृंद, सुरक्षा और संरक्षा तथा अन्य विषयों के लिए न्यूनतम मानक ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के आवश्यकता आधारित भरणपोषण और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए 29 दिसंबर, 2007 को अधिनियमित किया गया था । एक दशक से भी अधिक समय से उक्त अधिनियम ने राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के सक्रिय सहयोग से जरुरतमंद माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करने में अपनी भूमिका निभाई है ।

2. तथापि, समाज में संयुक्त कुटुंब प्रणाली के धीरे-धीरे टूट जाने के कारण माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उपेक्षा, अपराध, शोषण और परित्याग के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है । विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों का पुनर्विलोकन करने का निदेश देते हुए आदेश जारी किए हैं ।

3. इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की परीक्षा करने के उपरांत सचिवों के समूह ने एक समान आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सभी फायदे देने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरणपोषण की रकम में वृद्धि करने और गृह देखरेख सेवाओं के मानकीकरण की सिफारिश की है । इसके अतिरिक्त व्यष्टियों से और संस्थाओं से अधिनियम में कतिपय उपांतरण करने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत पुत्र वधु और दामाद को 'बालक' की परिभाषा की परिधि में लाना, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार का उपबंध करना भी है । इसलिए, अधिनियम को वृद्धजनों के लिए अधिक व्यापक और सहायतापूर्ण बनाने के लिए उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का पुनरीक्षण करने और उसमें नए उपबंधों को सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है ।

4. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 निम्नलिखित के लिए हैं—

(क) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए समर्थ बनाने हेतु 'बालक', 'माता-पिता', 'भरणपोषण', 'कल्याण' और 'वरिष्ठ नागरिकों' की परिभाषाओं को उपांतरित करके अधिनियम के क्षेत्र को बढ़ाना ;

(ख) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भरणपोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रकार में वृद्धि करना ;

(ग) अस्सी वर्ष के अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आवेदनों को विशेष अधिमान सहित भरणपोषण आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए उपबंध करना, जिससे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक राहत प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके सके ;

(घ) मासिक भरणपोषण की रकम के रूप में, जो अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत की जा सकेगी, दस हजार रुपए की ऊपरी सीमा को हटाना ;

(ङ) ऐसे बालकों और नातेदारों द्वारा अपील फाइल किए जाने का अधिकार देना, जो भरणपोषण अधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित हैं, यदि वे भरणपोषण अधिकरण द्वारा यथा आदेशित भरणपोषण की रकम का संदाय करते रहते हों ;

(च) वरिष्ठ नागरिक देखरेख गृहों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुविध-सेवा दिन भर देखरेख केंद्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृह देखरेख सेवाएं प्रदान करने वाली

संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उनके न्यूनतम मानकों के लिए उपबंध करना ;

(छ) प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पुलिस यूनिट का गठन करना और प्रत्येक पुलिस थाने में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना ;

(ज) वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन रखना ; और

(झ) उन लोगों के लिए कठोर दंड का उपबंध करना, जो माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों से दुर्व्यवहार करते हैं या उनका परित्याग करते हैं ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
6 दिसंबर, **2019**

थावर चंद गहलोत

खंडों पर टिप्पण

विधेयक के खंड 3 में, कतिपय पदों की परिभाषाओं के लिए उपबंध है, जिसके अंतर्गत "बालक", "भरणपोषण" ,"माता-पिता" आदि भी हैं ।

विधेयक का खंड 4, नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिसमें माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण और उनका भरणपोषण करने के लिए बालकों और नातेदारों की बाध्यता के उपबंध हैं ।

विधेयक का खंड 5, अधिकरण के समक्ष भरणपोषण के लिए आवेदन फाइल करने के प्रकार का विस्तार करने हेतु धारा 5 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 6, अधिकरण को अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यवाहियों को सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करने हेतु धारा 6 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 7, "भरणपोषण के आदेश" शब्दों के स्थान पर, "फाइल किए गए आवेदन" शब्द रखने हेतु धारा 7 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 8, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973" शब्दों के स्थान पर, "संहिता" शब्द रखने हेतु धारा 8 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक के खंड 9 में, धारा 9 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकरण द्वारा भरणपोषण अवधारित करने की रीति का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 10, अधिकरण द्वारा पारित भरणपोषण के आदेश में परिवर्तन करने का उपबंध करने के लिए धारा 10 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 11, भरणपोषण के आदेश का उपबंध करने के लिए धारा 11 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 12, धारा 12 का संशोधन करने के लिए है, जिससे किसी न्यायालय के समक्ष लंबित आवेदन को वापस लेने हेतु और उसे अधिकरण के समक्ष फाइल करने हेतु माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों को समर्थ बनाने के लिए उसमें एक परंतुक अंत:स्थापित किया जा सके और ऐसा आवेदन उस तारीख से फाइल किया गया समझा जाएगा, जब ऐसा आवेदन न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया था ।

विधेयक का खंड 13, "तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह दिन के भीतर" शब्द रखने हेतु धारा 13 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 1**4**, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिए बालकों या नातेदारों को समर्थ बनाने हेतु धारा 16 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 15, भरणपोषण अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करने हेतु धारा 18 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 16, अध्याय 3 के शीर्षक को “वरिष्ठ नागरिक देखरेख गृहों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुविध-सेवा दिनभर देखरेख केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन” के

रूप में संशोधित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 17, वरिष्ठ नागरिक देखरेख गृहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुविध-सेवा दिनभर देखरेख केंद्रों की स्थापना और प्रबंध का उपबंध करने हेतु धारा 19 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 18, "चिकित्सीय देखरेख" शब्दों के स्थान पर, "स्वास्थ्य संबंधी देखरेख" शब्द रखने हेतु अध्याय 4 के शीर्षक का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 19, वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गृह देखरेख सेवाओं के लिए धारा 20 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 20, अध्याय 5 के शीर्षक को "वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति का संरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपाय" के रूप में संशोधित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 21, अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रचार करने का और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के उपायों का और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का भी उपबंध करने हेतु धारा 21 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 22, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्य योजना का उपबंध करने हेतु नई धारा 21क अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 23, प्रत्येक पुलिस थाने में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए नोडल अधिकारी को पदाभिहित करने और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बाबत पुलिस के कृत्यों का समन्वय करने हेतु प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पुलिस यूनिट का गठन करने का उपबंध करने हेतु धारा 22 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 24, "वरिष्ठ नागरिक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक" शब्द रखने हेतु धारा 23 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 25, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय का उपबंध करने हेतु नई धारा 23क अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने या उनका परित्याग करने के लिए दंड का उपबंध करने हेतु धारा 24 के स्थान पर नई धारा रखने के लिए है ।

विधेयक का खंड 27, राज्य सरकारों की, क्रमश: वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं और संस्थाओं के प्रत्यायन के ब्यौरे रखने के लिए बाध्यता का उपबंध करने हेतु नई धारा 28क और धारा 28ख अंत:स्थापित करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 28, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करने हेतु धारा 29 के स्थान पर नई धारा रखने के लिए है ।

विधेयक का खंड 29, केंद्रीय सरकार को आदर्श नियम विरचित करने के लिए सशक्त बनाने हेतु और राज्य सरकार को कतिपय विषयों की बाबत नियम बनाने के लिए सशक्त करने हेतु धारा 32 का संशोधन करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 17, धारा 19 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के लिए वास-सुविधाएं प्रदान करने के लिए, वरिष्ठ नागरिक देखरेख गृहों की अथवा वरिष्ठ नागरिकों को दिन भर देखरेख के लिए बहुविध-सेवा दिन भर देखरेख केंद्र की स्थापना या उनका अनुरक्षण करने का उपबंध है ।

विधेयक का खंड 19, धारा 20 और धारा 20क के स्थान पर नई धारा 20 और धारा 20क प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिसमें ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को, जो किसी भी शारीरिक या मानसिक ह्रास के कारण दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, गृह देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए उपबंध हैं ।

विधेयक का खंड 25, नई धारा 23क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सुगम और आयु अनुकूल वातावरण, परिवहन, जानकारी और संसूचनाओं और अन्य जनसुविधाओं का सृजन करने और वरिष्ठ नागरिकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन की स्थापना करने और उसे बनाए रखने का उपबंध है ।

चूंकि इन उपबंधों का कार्यान्वयन अधिकांशत: राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रीति में किया जाएगा । इसलिए इस स्तर पर उपगत किए जाने के लिए संभाव्य पूर्ण वित्तीय भार का प्राक्कलन करना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त, भारत की संचित निधि से निधि की वर्तमान में कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी । विधेयक में कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंलर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 29 का उपखंड (1), राज्य सरकार को ऐसे सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में आदर्श नियम विरचित करने के लिए सशक्त करने के लिए धारा 32 की उपधारा (1) में एक परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए है, जिनकी बाबत राज्य सरकार से नियम बनाने की अपेक्षा की गई है और जहां ऐसे किसी विषय की बाबत ऐसे कोई आदर्श नियम विरचित कर दिए गए हैं, तो वे तब तक राज्य को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, जब तक उस विषय की बाबत राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना दिए जाते और ऐसा कोई नियम बनाते समय वे ऐसे आदर्श नियमों के अनुरूप होंगे ।

विधेयक के खंड 29 का उपखंड (ख), राज्य सरकार को, (**i**) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन सुलह अधिकारी को नामनिर्देशित करने की रीति ; (**ii**) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को पदाभिहित करने की रीति ; (**iii**) धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या निर्धारित करने की प्रक्रिया ; (**iv**) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन वरिष्ठ नागरिक देखरेख गृहों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुविध सेवा दिनभर देखरेख केंद्रों की स्थापना और अनुरक्षण तथा भोजन, अवसंरचना, चिकित्सा प्रसुविधा, मनोरंजन, कर्मचारिवृंद, सुरक्षा और संरक्षा तथा अन्य विषयों के लिए न्यूनतम मानकों का उपबंध करने के लिए सशक्त करने के लिए धारा 32 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है ।

वे विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, सामान्यतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 56) से उद्धरण

[29 दिसम्बर, 2007]

संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बालक" के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री हैं, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है ;

(ख) "भरणपोषण" में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है ;

* * * * * *

(घ) "माता-पिता" से पिता या माता अभिप्रेत है, चाहे वह, यथास्थित, जैविक, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(छ) "नातेदार" से नि:संतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा ;

* * * * * *

(ट) "कल्याण" से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थ्य देखरेख, आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है ।

* * * * * *

अध्याय 2

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण ।

4. (1) कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अन्तर्गत माता-पिता हैं, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है,—

(i) माता-पिता या पितामह-पितामही की दशा में, अपने एक या अधिक बालकों के विरुद्ध, जो अवयस्क नहीं हैं ;

(ii) किसी नि:सन्तान वरिष्ठ नागरिक की दशा में, अपने ऐसे नातेदार के विरुद्ध, जो धारा 2 के खंड (छ) में निर्दिष्ट है,

धारा 5 के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार होगा ।

(2) किसी वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करने के लिए, यथास्थिति, बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं तक विस्तारित होती है, जिससे कि वरिष्ठ नागरिक एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके ।

(3) अपने माता-पिता का भरणपोषण करने की बालक की बाध्यता, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता अथवा पिता या माता या दोनों की आवश्यकता तक विस्तारित होती है, जिससे कि ऐसे माता-पिता, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें ।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करेगा, परन्तु यह तब जब कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा :

परन्तु जहां किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को एक से अधिक नातेदार विरासत में प्राप्त करने के हकदार हैं, वहां भरणपोषण, ऐसे नातेदारों द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा, जिसमें वे उसकी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे ।

भरणपोषण के लिए आवेदन ।

5. (1) धारा 4 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन,—

(क) यथास्थिति, किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा किया जा सकेगा ; या

(ख) यदि वह अशक्त है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जा सकेगा ; या

(ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संगठन" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम अभिप्रेत है ।

(2) अधिकरण, इस धारा के अधीन भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते की बाबत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे बालक या नातेदार को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जिसके अन्तर्गत माता-पिता भी हैं, अन्तरिम भरणपोषण के लिए मासिक भत्ता देने और उसका ऐसे वरिष्ठ नागरिक को, जिसके अन्तर्गत माता-पिता भी हैं, संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जो अधिकरण समय-समय पर निदेशित करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बालक या नातेदार को आवेदन की सूचना देने के पश्चात् और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, भरणपोषण की रकम का अवधारण करने के लिए कोई जांच कर सकेगा ।

(4) भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते हेतु और कार्यवाही के खर्चे के लिए उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटान किया जाएगा :

परन्तु अधिकरण, आपवादिक परिस्थितियों में उक्त अवधि को, कारणों को लेखबद्ध करते हुए एक बार में तीस दिन की अधिकतम अवधि के लिए, विस्तारित कर सकेगा ।

* * * * * *

अधिकारिता और प्रक्रिया ।

6. (1) धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी,—

(क) जहां वह निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया है ; या

(ख) जहां बालक या नातेदार निवास करता है ।

* * * * * *

(3) बालक या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन यथाउपबंधित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी ।

(4) ऐसी कार्यवाहियों के सभी साक्ष्य उस बालक या नातेदार की, जिसके विरुद्ध भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन मामलों के लिए विहित रीति में अभिलिखित किया जाएंगे :

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह बालक या नातेदार जिसके विरुद्ध भरणपोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बच रहा है, या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थित होने की उपेक्षा कर रहा है, तो अधिकरण मामले की एक पक्षीय रूप से सुनवाई करने और अवधारित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा ।

* * * * * *

(6) अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि सौहार्द्रपूर्ण सुलह हो गई है तो अधिकरण उस आशय का आदेश पारित करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "सुलह अधिकारी" से धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संगठन का प्रतिनिधि या धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरणपोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है ।

* * * * * *

जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया ।

8. (1) अधिकरण, धारा 5 के अधीन कोई जांच करने में, ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को प्रकट करने का पता कराने और उनको पेश करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1974 का 2

* * * * * *

भरणपोषण का आदेश ।

9. (1) यदि, यथास्थिति, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं अपना भरणपोषण करने में असमर्थ हैं, भरणपोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करते हैं तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या इन्कार के बारे में समाधान हो जाने पर, ऐसे बालकों या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का, जो अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो अधिकरण समय-समय पर निदेश दे ।

(2) ऐसा अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जाए, वह होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए और जो दस हजार रुपए प्रति

मास से अधिक नहीं होगा ।

भत्ते में परिवर्तन ।

10. (1) भरणपोषण के लिए किसी तथ्य के दुर्व्यपदेशन या भूल के या धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की अथवा भरणपोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए उस धारा के अधीन आदेशित व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन पर, अधिकरण भरणपोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

* * * * * *

भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन ।

11. (1) भरणपोषण के आदेश और कार्यवाहियों के व्ययों के संबंध में आदेश की प्रति, यथास्थिति, उस वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को, जिसके पक्ष में वह आदेश किया गया है किसी फीस के संदाय के बिना दी जाएगी और ऐसा आदेश किसी अधिकरण द्वारा ऐसे किसी स्थान पर, जहां वह व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है, पक्षकारों की पहचान और, यथास्थिति, शोध्य भत्ते, या व्यय के असंदाय के बारे में उस अधिकरण का समाधान हो जाने पर प्रवृत्त किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए भरणपोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश का होता है और वह उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जाएगा । 1974 का 2

* * * * * *

भरणपोषण की रकम का जमा किया जाना ।

13. जब इस अध्याय के अधीन कोई आदेश किया जाता है तब ऐसा बालक या नातेदार, जिससे ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर आदेशित संपूर्ण रकम ऐसी रीति में जमा करेगा, जो अधिकरण निदेश दे ।

* * * * * *

अपीलें ।

16. (1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु अपील पर, वह बालक या रिश्तेदार, जिससे ऐसे भरणपोषण के आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किए जाने की अपेक्षा की गई है, ऐसे माता-पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय अपील अधिकरण द्वारा निदेशित रीति से करता रहेगा :

परंतु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।

* * * * * *

(6) अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा ।

* * * * * *

भरणपोषण अधिकारी ।

18. (1) राज्य सरकार, जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, भरणपोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट भरणपोषण अधिकारी, यदि कोई माता-पिता ऐसी वांछा करे, उसका, यथास्थिति, अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान

प्रतिनिधित्व करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 3

वृद्धाश्रमों की स्थापना

वृद्धाश्रमों की स्थापना ।

19. (1) राज्य सरकार, ऐसी पहुंच के भीतर के स्थानों पर, चरणबद्ध रीति में, उतने वृद्धाश्रम स्थापित करेगी और उनका अनुरक्षण करेगी, जितने वह आवश्यक समझे और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी, जिसमें न्यूनतम एक सौ पचास ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आवास सुविधा दी जा सके, जो निर्धन हैं ।

(2) राज्य सरकार, वृद्धाश्रमों के प्रबंध की एक स्कीम विहित करेगी, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं, जो ऐसे आश्रमों के निवासियों को चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्धन" से कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है, जिसके पास स्वयं के भरणपोषण करने के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं हैं, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित किए जाएं ।

अध्याय 4

वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के लिए उपबंध

वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता ।

20. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,—

(i) सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित अस्पताल, सभी वरिष्ठ नागरिकों को, यथासंभव, बिस्तर प्रदान करेंगे ;

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक् पंक्तियों की व्यवस्था की जाएगी ;

(iii) चिरकारी, जानलेवा और ह्रासी रोगों के उपचार के लिए सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित की जाएं ;

(iv) चिरकारी वृद्धावस्था के रोगों और वृद्धावस्था के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तार किया जाए ;

(v) जराचिकित्सीय देखरेख में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले प्रत्येक जिला अस्पताल में जराचिकित्सा के रोगियों के लिए निर्दिष्ट सुविधाएं नि:शुल्क दी जाएं ।

अध्याय 5

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की संरक्षा

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार, जागरुकता, आदि के उपाय ।

21. राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि,—

(i) इस अधिनियम के उपबंधों का जनमाध्यम, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और मुद्रण माध्यम भी है, से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाए ;

(ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी हैं, इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर सुग्राही और जागरुक होने का प्रशिक्षण दिया जाए ;

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान

की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाए ।

* * * * * *

कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना ।

23. (1) जहां कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अपनी संपत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अंतरिती, अंतरक को बुनियादी सुख-सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख-सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा ।

(2) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका भाग अंतरित कर दिया जाता है, यदि अंतरिती को उस अधिकार की जानकारी है या, यदि अंतरण बिना प्रतिफल के है तो भरणपोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरिती के विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ; न कि उस अंतरिती के विरुद्ध जो प्रतिफल के लिए है और जिसके पास अधिकार की सूचना नहीं है ।

(3) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अधिकार को प्रवर्तित कराने में असमर्थ है तो धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्याय 6

अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग ।

24. जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को, किसी स्थान में, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, वह ऐसी अवधि के किसी कारावास से, जो तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

29. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति ।

32. (1) * * * * *

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित किए जाएं, धारा 5 के अधीन जांच करने की रीति ;

* * * * * *